राजस्थान सरकार

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, शाहपुरा

(पीठासीन अधिकारी प्रकाश चन्द्र रेगर, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 44/2025 अपील

| | | |
|---|---|---|
| 1. श्री देवनारायण विकास ट्रस्ट जरिये देवकिशन पिता नन्दा, देवकिशन पिता मिश्रीलाल गुर्जर, श्रीराम पिता मांगीलाल गुर्जर, जगदीश पिता भोजाराम गुर्जर निवासीयान मेघपुरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा | बनाम | 1. राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार खजुरी, तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा |
| –अपीलार्थी | | –रेस्पोडेण्ट |

## अपील अन्तर्गत धारा 75 रा. टी. एक्ट

उपस्थित वक्त बहस –

1. श्री लालाराम गुर्जर अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर
2. श्री पेरोकार सरकार – विपक्षी संख्या 01 की ओर से

## निर्णय

दिनांक 28.04.2026

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अंतर्गत धारा 75 रा. टी. एक्ट विरूद्ध नायब तहसीलदार खजुरी तहसील जहाजपुर के धारा 91 निर्णय की प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवार हल्का अमरगढ, ने नायब तहसीलदार खजूरी के यहां एक मौका रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि ग्राम अमरगढ की आराजी संख्या 988/389 रकबा 6.0264 हैक्टर बिलानाम भूमि (सरकारी) में से 1739 वर्गफीट भूमि पर देवनारायण विकास ट्रस्ट, अमरगढ जरिये देवकिशन पुत्र नंदा गुर्जर, देवकिशन पुत्र मिश्री लाल गुर्जर, श्रीराम पिता मांगी लाल गुर्जर, जगदीश पिता भोजाराम गुर्जर द्वारा छत लेवल तक पक्का निर्माण कर रखा है। उक्त रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खजुरी ने दिनांक 09.01.

अति. जिला कलक्टर
शाहपुरा

2023 को उक्त प्रकरण दर्ज कर अपीलांट/विपक्षी को जरिये सम्मन तलब कर आगामी तारीख पेशी दिनांक 20.01.2023 की नियत की गयी। न्यायालय द्वारा जारी सम्मन विपक्षी/अपीलांट को प्राप्त हुआ जिस पर अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स के एक खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाकर ट्रस्ट की मोहर भी लगवाई। जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ था और अपीलांट्स को कहा गया कि जब जरूरत होगी तब आपको बुला लेगे। जिस पर अपीलाट्स वापस चले गये उसके बाद अपीलांट्स को वापस नहीं बुलाया। अपीलार्थी को बिना सुने, बिना विधिवत तामील करवाये जो कार्यवाही की है वह निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रेषित सम्मन ट्रस्ट के सभी सदस्यों को अलग–अलग नोटिस नहीं देकर एक ही नोटिस जारी कर कानूनी भूल की है। मामले में रिपोर्टकर्ता पटवारी हल्का की जिस रिपोर्ट के आधार पर उक्त प्रकरण दर्ज किया व निर्णय पारित किया गया उक्त रिपोर्ट हेतु पटवार हल्का कभी भी मौके पर नहीं आया, ना ही पटवार हल्का द्वारा इस हेतु कोई सूचना अपीलांट्स को दी तथा साथ ही मामले में पटवार हल्का के बयान भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस मामले में नहीं लिये गये ना ही पटवारी हल्का को तलब किया, ऐसी स्थिति में इसके अभाव में भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अतिक्रमण साबित नहीं होते हुए भी अपीलांट्स को अतिकमी मानकर भारी भूल की है। मामले में जिस निर्माण को लेकर अपीलार्थीगण को अतिकमी माना है उस निर्माण में स्वयं अपीलांट का कोई निजी हित नहीं है ना ही अपीलांट्स की कोई निजी राशि लगी है, ना ही निर्माण अपीलांट्स द्वारा करवाया गया है उक्त निर्माण जनहित में आराध्य देव देवनारायण भगवान के प्रवेश द्वार व धर्मशाला हेतु ग्राम मेघपुरा, दलपुरा रायमोहनपुरा, बेकली की झूपड़िया, लाडीजी का खेड़ा, झीकरी एवं अन्य आस–पास के गावं वालों ने मिलकर आमसभा कर तय कर देवनारायण भगवान के द्वार व धर्मशाला का निर्माण बाबत् चंदा एकत्रित करने का निर्णय लेकर इन सभी गांवों ने चंदा एकत्रित कर इन गांव वालों ने सामुहिक रूप से भगवान देवनारायण के लिए निर्माण करवाया है। मामला धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ मामला है तथा भगवान देवनारायण के यहां प्रवेश द्वार व धर्मशाला जो निर्माण की गयी वह उस क्षेत्र के सभी जनता की आस्था से जुड़ा हुआ है। तथा यहां पर आये दिन जागरण, पूजन, मेला, आदि धार्मिक कार्यकम आस–पास की जनता द्वारा किये जाते रहे है

अति. जिला कलक्टर
शाहपुरा

जिनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी स्थानीय आस–पास के ग्रामीणों द्वारा उक्त निर्माण जनसहयोग से करवाया जा रहा है। इसमें अपीलार्थीगण या अन्य किसी भी व्यक्ति का कोई निजी हित नहीं है। अगर इस निर्माण को ध्वस्त किया गया या इस निर्माण को लेकर किसी प्रकार का विवाद हुआ तो जनआस्था को ठेस पहुंचेगी। उक्त आलोच्य निर्णय दिनांक 08.02.2023 की प्रथम बार जानकारी दिनांक 01.03.2023 को अपीलार्थीगण को पटवारी हल्का द्वारा दी गयी जिस पर अपीलार्थीगण ने आलोच्य निर्णय की नकलें लेने हेतु आवेदन दिनांक 01.03.2023 को पेश किया जो नकलें दिनांक 13.03.2023 को प्राप्त हुई इस प्रकार जानकारी दिनांक 01.03.2023 को हुई है। इस आधार पर निर्णय दिनांक 08.02.2023 से जानकारी दिनांक 01.03.2023 तक का समय जानकारी क अभाव में क्षम्य योग्य होने से कण्डोन किया जाकर अपील को अंदर अवधि शुमार किया जाना आवश्यक है जिस हेतु दफा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र अलग से पेश है ।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खजूरी द्वारा पारित निर्णय व आदेश खारिज फरमाये जाने का आदेश फरमावे ।

प्रस्तुत अपील पंजीबद्व की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से जवाब पेश किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया गया कि न्यायालय नायब तहसीलदार खजूरी द्वारा प्रकरण संख्या 922/2022 में पारीत निर्णय व आदेश दिनांक 08.02.2023 में अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवायें गयें तथा अपीलार्थी को सुना जाकर प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली कर विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया। न्यायालय नायब तहसीलदार खजूरी द्वारा प्रकरण संख्या 922/2022 में पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत धारा 91 की रिपोर्ट श्रीदेवनारायण विकास ट्रस्ट जरियें देवकिशन पिता नन्दा गुर्जर, देवकिशन पिता मिश्रीलाल गुर्जर, श्रीराम पिता मांगीलाल गुर्जर जगदीश पिता भोजाराम गुर्जर के विरूद्ध दिनांक 06.01.2023 को प्रस्तुत की गई। अतिक्रमण विकास ट्रस्ट के जरियें सामुहिक रूप से किया गया था अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस विधिवत जारी किया गया। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत 91 की रिपोर्ट मौके की जांच कर

अति. जिला कलक्टर
शाहपुरा

राजस्व रिकॉर्ड अनुसार तैयार की गई जिस पर भू०अ०नि० अमरगढ़ द्वारा जांच के उपरान्त पटवार हल्का अमरगढ़ द्वारा दिनांक 06.01.2023 को प्रस्तुत की गई तथा प्रकरण में नियत तारीख पेशी 20.01.2023 को देवनारायण विकास ट्रस्ट के प्रतिनिधी उपस्थित हुए तथा प्रस्तुत जवाब में देवनारायण विकास ट्रस्ट द्वारा निर्माण कार्य करवाया जाकर अतिक्रमण करना स्वीकार किया है। न्यायालय नायब तहसीलदार खजूरी द्वारा प्रकरण संख्या 922/2022 में पारीत निर्णय व आदेश दिनांक 08.02.2023 में अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवायें गयें तथा खाली कागज पर हस्ताक्षर न करवाये जाकर अपीलार्थी के तारीख पेशी 20.01.2023 को उपस्थित होने पर न्यायालय प्रक्रिया के तहत उपस्थिति के हस्ताक्षर करवायें गयें, तथा अपीलार्थी ने अपना पक्ष रखते हुए जवाब प्रस्तुत किया गया था। ग्राम अमरगढ़ के खसरा संख्या 988/389 रकबा 6.0264 हैक्टेयर मे से 1739 वर्गफिट पर किया गया निर्माण अवैधानिक होने से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत विधिसम्मत कार्यवाही की गई। ग्राम अमरगढ़ के खसरा संख्या 988/389 रकबा 6.0264 हैक्टेयर मे से 1739 वर्गफिट पर किया गया निर्माण बिना किसी सक्षम स्वीकृति के किया जाकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है।

अतः निवेदन है कि न्यायालय नायब तहसीलदार खजूरी के प्रकरण संख्या 922/2022 में पारीत निर्णय व आदेश दिनांक 08.02.2023 विधिसम्मत होने से निर्णय को बावत रखते हुए अपील अस्वीकार फरमाई जावें। ।

प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

सर्वप्रथम अपील मेमों में अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन का निस्तारण करना उचित है। अधिवक्ता अपीलार्थी के निवेदन एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 के बिन्दु सं. 1 में उल्लेख अनुसार विलम्ब माफी स्वीकार्य योग्य होने से अपील अन्दर मियाद स्वीकार की जाती है।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील मेमों मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि खसरा संख्या 988/389 रकबा 6.264 है. किस्म बिलानाम में से मात्र 1739 वर्गफीट भूमि पर अतिकमण कर निर्माण किया है। भविष्य में निर्माण नहीं

अति. जिला कलेक्टर
शाहपुरा

करेगें। उक्त प्रश्नगत भूमि धार्मिक उद्देश्य के लिये है। अतः निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जाकर न्यायालय नायब तहसीलदार खजुरी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.02.2023 को अपास्त किया जाने का आदेश फरमावें।

रेस्पोडेन्ट ने बहस दौरान जवाब मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम अमरगढ़ के खसरा संख्या 988/389 रकबा 6.0264 हैक्टेयर मे से 1739 वर्गफिट राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण किया है। जो कि भू राजस्व नियमों के विपरीत होकर विधि के प्रतिकूल है। इसलिये प्रकरण संख्या 922/2022 में पारित निर्णय को यथावत रखते हुए अपील अस्वीकार कर खारिज फरमावें।

उभयपक्षो की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के फर्द अहकाम दिनांक 20.01.2023 में अपीलार्थीगण स्वंय उपस्थित होकर उनके हस्ताक्षर अंकित है तथा अपीलार्थीगण द्वारा जवाब भी प्रस्तुत किया गया है। जिससे अपीलार्थीगण का यह कथन गलत है की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को सुना नही गया हो। अपीलार्थीगण की और से उक्त भूमि के आंवटन के संबध में किसी भी प्रकार का दस्तावेज/आदेश प्रस्तुत नही किया गया है। उक्त प्रत्यर्थी के जवाब के पैरा सं. 7 से प्रमाणित है।

उपर्युक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थीगण ने प्रश्नगत भूमि के आंवटन की विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना मनमाने ढंग से सरकारी भूमि पर अतिचार किया जो कि विधिसम्मत् नहीं है। अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन, विधि के प्रतिकूल होकर अस्वीकार योग्य हैं।

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अपीलार्थी की अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/4/26

(प्रकाश चन्द्र रेगर)
अति.जिला कलक्टर
शाहपुरा